पत्रांक–अ0सं0क0–04–03–H–07 / 2019

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

विषय :– Welfare Institutions and Hostels Scheme के तहत निःशुल्क खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में आवासित सभी छात्र/ छात्राओं को प्रतिमाह 09Kg चावल एवं 06Kg गेहूँ की आपूर्ति हेतु ''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न योजना'' की स्वीकृति।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन परन्तु दो तिहाई से कम अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के छात्र/ छात्राओं के आवासित होने के कारण Welfare Institutions and Hostels Scheme से वंचित अल्पसंख्यक छात्रावासों में आवासित छात्र/ छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 15Kg खाद्यान्न (09Kg चावल एवं 06Kg गेहूँ) की आपूर्ति Door Step Delivery के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. ''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न योजना'' के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए निर्धारित आर्थिक मूल्य (Economic Cost) पर खाद्यान्न का क्रय कर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/ छात्राओं को प्रतिमाह प्रति छात्र/ छात्रा निःशुल्क 15 किलोग्राम खाद्यान्न (09Kg चावल एवं 06Kg गेहूँ) डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास खाद्यान्न योजना की स्वीकृति दी जाती है।

3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा आर्थिक मूल्य (Economic Cost) पर खाद्यान्न का क्रय कर संबंधित अल्पसंख्यक छात्रावासों में Door Step Delivery के माध्यम से उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई है।

4. वर्त्तमान में Welfare Institutions and Hostels Scheme के तहत निःशुल्क खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण के पश्चात् संचालित होने वाले अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास भी इस योजना से आच्छादित होंगे।

5. राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–04– अल्पसंख्यकों का कल्याण–लघु शीर्ष –102– आर्थिक विकास–उपशीर्ष–0101–अल्पसंख्यक कल्याण अन्तरपूर्ति योजना–विस्तृत शीर्ष –21 सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष–01 सामग्री एवं पूर्तियां, मांग संख्या–30– विपत्र कोड संख्या– 30–2225041020101 के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से व्यय विकलनीय होगा।

6. मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 03.11.2021 को हुई बैठक में मद संख्या– 24 में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रति सभी विभाग, कार्यालय एवं पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सफीना ए० एन०)

सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक— अ०सं०क०— 04—03—H—07/2019...3050 पटना, दिनांक—16/12/21

प्रतिलिपि :— माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक— अ०सं०क०— 04—03—H—07/2019...3050 पटना, दिनांक—16/12/21

प्रतिलिपि :— मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

सचिव

ज्ञापांक— अ०सं०क०— 04—03—H—07/2019...3050 पटना, दिनांक—16/12/21

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक— 03.11.2021 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या— 24 में स्वीकृति के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक— अ०सं०क०— 04—03—H—07/2019...3050 पटना, दिनांक—16/12/21

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक— अ०सं०क०— 04—03—H—07/2019...3050 पटना, दिनांक—16/12/21

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक— अ०सं०क०— 04—03—H—07/2019...3050 पटना, दिनांक—16/12/21

प्रतिलिपि :— सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक— अ०सं०क०— 04—03—H—07/2019...3050 पटना, दिनांक—16/12/21

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले० एवं ह०)/ महालेखाकार (ले० एवं प०) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक— अ०सं०क०— 04—03—H—07/2019...3050 पटना, दिनांक—16/12/21

प्रतिलिपि :— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक– अ०सं०क०– 04–03–H–07 / 2019..3050 पटना, दिनांक–.16/12/21

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड/ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना/ आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक– अ०सं०क०– 04–03–H–07 / 2019..3050 पटना, दिनांक–.16/12/21

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित दो प्रतियों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 50 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सचिव